पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अगस्त, 2022 ई0 (श्रावण 15, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	639–648	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	681–691	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	323–343	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–06

अधिसूचना

11 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 158/XXX(6)/2022.20(02)21—उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, वित्त तथा आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है:–

1. राज्य कर विभाग (वित्त विभाग)

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	वैट के अन्तर्गत प्रान्तीय/केन्द्रीय पंजीयन के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	राज्य कर अधिकारी /असिस्टेन्ट कमिश्नर	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि से 01 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
2	वैट के अन्तर्गत पंजीयन संशोधन के प्रार्थना–पत्र	असिस्टेन्ट कमिश्नर	प्रार्थना पत्र एवं वांछित दस्तावेज दाखिल करने के 02 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
3	वैट के अन्तर्गत अधिक जमा धनराशि की वापसी	राज्यकर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	रिफण्ड आदेश के 30 कार्य दिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
4	वैट के अन्तर्गत विक्रय योग्य फार्मों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उसी कार्यदिवस एवं शेष अगले कार्यदिवस में अपराह्न 12 बजे तक	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
5	वैट धारा 30/31 के प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण	राज्यकर अधिकारी /असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर 1. जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, वहाँ 15 दिन के भीतर 2. जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता है, वहाँ इसे दाखिल करने/सुनवाई पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
6	वैट के अंतर्गत एस0टी0–45 जारी करना	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	बकाया समाप्त होने/जमा का साक्ष्य प्रस्तुत करने के 02 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
7	जी0एस0टी संबंधी पंजीयन प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर	1. पंजीयन प्रार्थना पत्र पूर्ण होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र दाखिल किये जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर 2. कोई कमी पाये जाने पर नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 07 कार्यदिवस के भीतर 3. आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाये जाने की दशा में 30 दिनों के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
8	जी0एस0टी संबंधी पंजीयन संशोधन प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	1. व्यापार स्थल के पते में परिवर्तन, व्यापार के विधिक नाम में परिवर्तन तथा निदेशक या भागीदार को जोडने/हटाने विषयक परिवर्तन के संबंध में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर 2. अन्य मामलों में प्रार्थना पत्र के दाखिल होने पर पंजीयन में संशोधन किया गया समझा जाएगा	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
9	जी0एस0टी संबंधी रिफण्ड प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	रिफण्ड आवेदन पत्र दाखिल किये जाने के 60 दिनों के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
10	बीमा संबंधी दावा	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	दुर्घटना बीमा संबंधी दावा प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर	एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
11	शिकायत निवारण	असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर	एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
12	कर निर्धारण आदेश	राज्य कर अधिकारी/ असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0)	अंतिम सुनवाई के 15 दिन के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर

2. आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें (आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग)

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	ओ0पी0डी0 प्रिस्क्रिप्शन पर्ची जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	30 मिनट	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
2	ओ0पी0डी0 रोगी को निर्वहन कार्ड जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	02 से 03 घण्टे	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
3	फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	01 से 02 घण्टे	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
4	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना (आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के अनुसार)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	02 माह	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
5	औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1945 के अन्तर्गत शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	01 हफ्ते के भीतर	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
6	औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1945 के अन्तर्गत रोगियों/स्वामित्व वाली दवाओं के निर्माण की स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	01 हफ्ते के भीतर	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
7	ऐलोपैथी/ होम्योपैथी/ कॉस्मेटिक एवं ब्लड बैंक लाइसेंस एवं नवीनीकरण– विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
8	अतिरिक्त श्रेणी दवा, सौन्दर्य प्रसाधन और घटक प्रसंस्करण के निर्माण के लिये लाइसेंस–विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	2	3	4	5	6
9	दवाओं के परीक्षण एवं विश्लेषण के लिये लाइसेंस	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	15 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
10	अतिरिक्त दवा निर्माण के लिये लाइसेंस– विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	15 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
11	नये GMP / WHO प्रमाण पत्र के लिये अनुमोदन एवं वैधता स्वीकृति (Approval and validity instinct) – विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	07 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
12	निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करने के लिये– 1. Non-conviction certificate (दोष सिद्ध न होने का प्रमाण–पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	07 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	2. Free-sale certificate (निःशुल्क बिक्री प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	3. Validity certificate (वैधता प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	4. Performance certificate (निष्पादन प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	5. Neutral code number (तटस्थ कोड संख्या)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

शैलेश बगौली,
सचिव।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

13 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 726/II(2)/2022-06(65)/2016–चूंकि राज्य सरकार जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले हरिपुर कलां से चण्डी पुल तक गंगा नदी के दॉये तट पर अनुसूची–एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉ और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी हरिद्वार एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

अधिसूचना संख्याः– 726/II/(02)/2022-06(65)/2016 **दिनांक 13 जुलाई 2022**

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाले समस्त परिसम्पत्ति का विवरण

जनपद हरिद्वार के तहसील–हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रतिषिद्ध (Prohibited Area) क्षेत्रों की अनुसूची –01

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा /गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हरिपुर खुर्द	26	1/23म, 1/24 म	0.2360	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		29	1/23 म	0.0390	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		05	1/25म	0.0620	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		07	1/26म	0.0300	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		09	1/27म	0.0070	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		04	1/28म	0.0030	आबादी	वर्ग–15(4) (NZA)	

1	2	3	4	5	6	7	8
		23	2म, 3म	0.7750	बांध	वर्ग–15(4) (NZA)	
		22	4, 5	0.6850	गंगाजी	वर्ग–15(1) (NZA)	
		25	1/1म	0.2500	आबादी गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		10	1/1म	1.2600	आबादी, बाग आम गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		03	1/1म	0.2700	आबादी, गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		06	1/1म	0.0600	आबादी,	संक्रमणीय भूमिधर	
			योग हरिपुर खुर्द	**3.6770**			
2	ग्राम लालजीवाला	7	3म	0.0800	नहर	वर्ग–15(4) (NZA)	
		6	4, 6म	0.6970	बन्धा नाला	वर्ग–15(4) (NZA)	
		8	5	0.1740	पथरोड	वर्ग–15(4) (NZA)	
		9	17म, 19म	1.0420	पथरी नाला	वर्ग–15(4) (NZA)	
		4	18म, 20	2.7920	नाला	(NZA)	
		5	21	0.9120	आबादी	(NZA)	
		3	22म	3.8490	गंगाजी	(NZA)	
		1	22म	15.9310	आबादी	(NZA)	
		2	22म	0.6850	गंगाजी	(NZA)	
			योग लालजीवाला	**26.162**			
			योग प्रतिषिद्ध	**29.839**			

अधिसूचना संख्याः– 726/II/(02)/2022-06(65)/2016 **दिनांक 13 जुलाई 2022**

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर हरिपुर खुर्द से चण्डीपुल तक ग्रामवार प्रतिबन्धित चिन्हित भूमि की अधिसूचना का सारांश

क0 सं0	ग्राम का नाम	रकबा (हैक्ट0 में)	तहसील	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हैक्ट0 में)
1	हरिपुर खुर्द	8.797	हरिद्वार	3.677
2	लालजीवाला	42.839	हरिद्वार	26.162
	कुल योग :-	51.636		29.839

अधिसूचना संख्याः– 726/II/(02)/2022-06(65)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2022

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाले समस्त परिसम्पत्ति का विवरण
जनपद हरिद्वार के तहसील–हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

निबर्न्धित (Restricted Area) क्षेत्रों की अनुसूची –02

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा /गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग / भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हरिपुर खुर्द	26	1/23म 1/24म	0.2470	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		29	1/23म	0.0200	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		05	1/25म	0.2050	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		07	1/26म	0.1750	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		09	1/27म	0.0540	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		04	1/28म	0.1750	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		08	1/29म	0.1780	आबादी	वर्ग–9 (NZA)	
		06	1/30	0.6840	आबादी व कृषि	वर्ग–9 (NZA)	
		21	1/22म, 1/31	0.2010	बांध	वर्ग–15(4) (NZA)	
		01	1/32, 1/33	1.2170	आबादी	वर्ग–8 (NZA)	
		15	1/33म	0.0640	आबादी	वर्ग–10क (NZA)	
		16	1/33म	0.0330	आबादी	वर्ग–10क (NZA)	
		23	2म, 3म	0.7830	बांध	वर्ग–15(4) (NZA)	
		25	1/1म	0.2500	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		10	1/1म	0.9050	बाग आम	संक्रमणीय भूमिधर	
		03	1/1म	0.4000	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		06	1/1म	0.0330	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
			योग हरिपुर खुर्द	5.6240			

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ग्राम लालजीवाला	7	3म	0.0700	नहर	वर्ग–15(4) (NZA)	
		6	6म	0.0900	बांध नाला	वर्ग–15(4) (NZA)	
		9	17म, 19म	0.1000	पटरी नाला	वर्ग–15(4) (NZA)	
		4	18म	0.2050	नाला	वर्ग–15(1) (NZA)	
		3	22म	0.6000	गंगाजी	वर्ग–15(1) (NZA)	
		1	22म	0.2000	भू–दान समिति गंगाजी	वर्ग–15(1) (NZA)	
			योग लालजीवाला	**1.2650**			
			योग निबन्धित	**6.889**			
			कुल योग (प्रतिषिद्ध+निबन्धित)	**36.728**			

अधिसूचना संख्याः– 726/II/(02)/2022-06(65)/2016 **दिनांक 13 जुलाई 2022**

उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर हरिपुर खुर्द से चण्डीपुल तक ग्रामवार निर्बन्धित चिन्हित भूमि की अधिसूचना का सारांश

क0 सं0	ग्राम का नाम	रकबा (हैक्ट0 में)	तहसील	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हैक्ट0 में)
1	हरिपुर खुर्द	9.669	हरिद्वार	5.620
2	लालजीवाला	10.162	हरिद्वार	1.265
	कुल योग :-	**19.831**		**6.885**

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/529–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अगस्त, 2022 ई0 (श्रावण 15, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

April 19, 2022

No. 141/XIV/20/Admin.A/2008--Ms. Meena Deopa, F.T.C./ Additional District & Sessions Judge, (POCSO), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 27.01.2022 to 01.02.2022.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 17, 2022

No. 183/XIV-a-25/Admin.A/2016--Ms. Bushra Kamal, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 23.05.2022 to 06.06.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 21, 2022

No. 185/UHC/Admin.A/2022--Shri Rahul Kumar Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is given charge of Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Haridwar, in addition to his present duties.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

June 25, 2022

No. 718/III-A-02/2022/SLSA--Shri Jayendra Singh,Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for a period of 13 days w.e.f. 06.06.2022 to 18.06.2022 with prefix of 05.06.2022 as Sunday holiday and suffix of 19.06.2022 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY,

Member-Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

June 28, 2022

No. 188/XIV-a-37/Admin.A/2017--Shri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 31.05.2022 to 21.06.2022.

NOTIFICATION

June 28, 2022

No. 189/XIV-a-10/Admin.A/2009--Ms. Gunjan Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 06.06.2022 to 18.06.2022 with permission to prefix 05.06.2022 & suffix 19.06.2022 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

July 06, 2022

No. 192/UHC/Admin.A/2022--Shri Sahdev Singh, 1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is transferred and posted as District & Sessions Judge, Pithoragarh, in the vacant Court.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE (C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO 03 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

July 07, 2022

Letter No.15 P/Store/25/2022/16157--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/ 2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

4. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than $1/6^{th}$ of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be $3/5^{th}$ (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

6. Packing of medicines/drugs/vaccines

6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

10. Delays in Supplier's performance

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

11. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.
22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.
23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply
    a. Exports by the Contractor.
    b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26. Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 03 [M]
Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/16157 Dated 7 July, 2022

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Chiron Behring Vaccines Pvt. ltd., 6th Floor, Unit N0 608, The Summit Business Bay, Gundavali, Kurla, Andheri- East Mumbai.	Tel: 91-2646226890,252 155 e-mail: info@chironbehring.com
2	M/s Vins Bioproducts Ltd., Sy no 117, Thimmapur Village, Kothur Mandal, Mahaboobnagar,District 509325 Telangana	Tel: 91-4-23354550, 2335 3540 e-mail: info@vinsbio.in
3	M/s Novo Nordisk India Pvt. ltd, Plot no. 32, 47-50, EPIP Area, Whitefield, Bangalore- 560 066	Tel: 91-8040303200 e-mail: vscd@novonordisk.com
4	M/s Reliance Life Sciences Pvt. Ltd., R-282, TTC Area of MIDC, Thane- Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai- 400 701, Maharashtra	Tel: 91-8040303200 e-mail: sujeet.kumar@relbio.com
5	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd., 6th Floor, Tower C, Building No. 8, DLF Cyber City, DLF Phase-II, Gurugram	Tel: 91-124-4559100 e-mail: tenders.india@takeda.com
6	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd, 128-5, Swiss House, Vishwas Nagar, Delhi- 110 032.	Tel: 91-11-22380624, 22384352 e-mail: medipoldel@gmail.com
7	M/s Signature Phytochemical Industries, 122, MI, Selaqui Industrial Area,Dehradun 248 197.	Tel: 91-22-66261400, 0135-2699932 e-mail: info@signaturepi.in, works@signaturepi.in
8	M/s Amkay Products Pvt. Ltd, Amkay Enclave, 68, Rashmi Park Bungalow, Dhumaal Nagar, Waliv Road, Vasai-E-401208 Dist: Palghar, Maharashtra	Tel: 9152094440, 91-7720085358 e-mail: tenders@amkayproducts.com

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/**16157** Dated: 7 July, 2022

List of medicines/drugs/surgical items/suturs items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 1 July, 2022 to 30 June, 2024

SN	Name of medicine	Pack form	Unit cost per tab or per bottle or per item without GST [in INR]	GST [in INR]	Unit cost per tab or per bottle or per item with GST [in INR]	Name of approved firm	Consignee/State Drug Ware House
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rabies Vaccine Human (cell culture) (Intradermal) 2.5 IU	1 ml vial	224.1	11.21	**235.31**	M/s Chiron Behring	F.O.R
2	Snake Venom Anti Serum (Polyvalent Anti Snake Venom) Lyophilized	10 ml vial	222	26.64	**248.64**	M/s Vins Bioproducts	F.O.R
3	Derived Factor VII 1 mg	vial with diluent	39,310.00	1,965.50	**41,275.50**	M/s Novo Nordisk India Pvt. Ltd	F.O.R
4	Recombinant Factor VIII 250 IU	vial with diluent	1,602.50	80.12	**1,682.62**	M/s Novo Nordisk India Pvt. Ltd	F.O.R
5	Recombinant Factor VIII 500 IU	vial with diluent	3,205.00	160.25	**3,365.25**	M/s Novo Nordisk India Pvt. Ltd	F.O.R
6	Derived Factor VIII Fraction 250 IU	vial with diluent	1,359.00	67.96	**1,426.96**	M/s Reliance Life Sciences	F.O.R
7	Derived Factor VIII Fraction 500 IU	vial with diluent	2,718.00	135.9	**2,853.90**	M/s Reliance Life Sciences	F.O.R
8	Factor IX Concentrate 600 IU	vial with diluent	5,676.00	283.8	**5,959.80**	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. ltd	F.O.R
9	Anti- Inhibitor Coagulation Complex [Human Plasma Protein with a Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity of 1000 IU	Vial with 20 ml solvent	54,000.00	2,700.00	**56,700.00**	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. ltd	F.O.R

10	Anti- Inhibitor Coagulation Complex [Human Plasma Protein with a Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity of 500 IU	Vial with 20 ml solvent	28,000.00	1,400.00	29,400.00	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. ltd	F.O.R
11	Moxifloxacin Tabs 400 mg	10 tab	7.7	0.92	8.62	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd	F.O.R
12	Amoxycillin (875 mg) & Potassium Clavulanate (125 mg) in each tab	10 tab	5.9	0.71	6.61	M/s Signature Phytochemical	F.O.R
13	Surgical Cap Disposable for doctors	per	1.15	0.06	1.21	M/s Amkay Products Pvt. Ltd	F.O.R
14	N-95 Masks	per	9.00	0.45	9.45	M/s Amkay Products Pvt. Ltd	F.O.R

SHAILJA BHATT,

Director General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/529–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अगस्त, 2022 ई0 (श्रावण 15, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम KOMAL DEVI से बदलकर KOMAL KAUR कर लिया हैं, भविष्य में मुझे KOMAL KAUR D/o श्री नरेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कोमल कौर पुत्री नरेश कुमार निवासी टाण्डा
राघडवाला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

I, ARUNA RANI MITAL W/O SATYAPRAKASH MITAL Resident03, Curzon Road, Dehradun, had written my short name Aruna Mital in some Bank Records therefore I have changed my short name to full name and shall here after be known as Aruna Rani Mital.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ARUNA RANI MITAL
W/O SATYAPRAKASH MITAL
Resident03, Curzon Road, Dehradun.

कार्यालय नगर पालिका परिषद् पौड़ी

सार्वजनिक सूचना

18 जून, 2022 ई0

संख्या—278/न0पा0प0—02/2022—23/पौड़ी—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 294 के अंतर्गत नगर पालिका सीमांतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाइसेन्स/पंजीकरण को नगर पालिका पौड़ी की स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाइसेन्स/पंजीकरण शुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए निम्नानुसार नीति बनाया जाना प्राविधानित है। लाइसेन्स हेतु उक्त प्रस्तावित उपविधि के लागू होने की तिथि के उपरांत पूर्व में प्राविधानिक लाइसेन्स/पंजीकरण शुल्क उपनियम स्वतः समाप्त हो जाएगे।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर आपत्ति अधिशासी नगर पालिका पौड़ी को संबोधित करते हुये कार्यालय नगर पालिका पौड़ी मे प्रस्तुत किए जा सकते है नियत अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियो एव सुझावो पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

1 यह नीति नगर पालिका पौड़ी की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियंत्रण करने हेतु लाइसेन्स/पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2020 कहलएगी जो यह गज़ट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(क) अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 यथा प्रभावी उत्तराखंड से है।

(ख) नगर पालिका सीमा से तात्पर्य-नगर पालिका पौड़ी जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका पौड़ी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका पौड़ी के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ड़) बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका पौड़ी के बोर्ड से है।

(च) लाइसेन्स/पंजीकरण अधिकारी-लाइसेन्स/पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका पौड़ी के अधिशासी अधिकारी एवं जिसे दायित्व सौपा जाए से है।

2 नगर पालिका पौड़ी की सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगाजब यह इस हेतु नगर पालिका पौड़ी कार्यालय मे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्तकर लिया हो।

3 इस नियम/उपविधि के अंतर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी।

4 लाइसेन्स जारी करने हेतु लाईसेन्सिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी होगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा कर एवं राजस्व अधीक्षक/कर एवं राजस्व निरीक्षक आदि) होंगे।

5 प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के अधीन नगर पालिका पौड़ी के कार्यालय मे निर्धारित शुल्क जमा कराने पर प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6 लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायी दुकान/प्रतिष्ठान/हास्पिटल/नर्सिंग होम/एजेंसी/कंपनी/प्रशिक्षण केंद्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो जांच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत करेगा।

7 कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो तो स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय मे किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

8 लाइसेन्स अधिकारी इन उपविधियों के अधीन खान-पान से संबन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाइयों, सब्जी विक्रेताओ आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गंदगी के विरुद्ध अथवा सड़ी गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

9 प्रत्येक व्यापारी को चाहिए कि वह नगर पालिका पौड़ी कार्यालय से लाइसेन्सप्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेगा।

10 इन उपविधियों के अधीन खान-पान से संबन्धित व्यवसायो, दुकानदारो, व्यक्तियों की दुकान से अलग-बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गंदी वस्तुए रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा जो किसी व्यक्ति सामाजिक दृष्टी से हानिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।

11 लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स/पंजीकरण का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं करता है तो उसे 30 अप्रैल के पश्च्यात शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा विलम्ब शुल्क नगर पालिका बोर्ड द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित दरों से देय होगा।

12 कोई भी व्यक्ति लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाइसेन्स निरस्त करने हेतु रु०-१० के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमेलाइसेन्स अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाइसेन्स निरस्त करेगा।

13 इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे मे राज्य सरकार यदि संतुष्ट है, कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरुप्रयोग है अथवा कोई प्राविधान जनहित मे नहीं है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

14 नगर पालिका सीमांतर्गत कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओ का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।

15 इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली मे लिखित व्यवसायो/उद्यमों से संबन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाइसेन्स दर/ उपनियम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इस नियम के अधीन होंगे।

केंद्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा पालिका मे उल्लेखित व्यवसायो के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

17 नगर पालिका पौड़ी द्वारा अपनी सीमा के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारो के स्वामियों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा उसी के आधार पर वार्षिक लाइसेन्स प्रपत्र पर जारीकिया जाएगा कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि मे लाइसेन्स नहीं बनता है तो उससे लाइसेन्स धनराशि वसूली हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखंड) के अंतर्गत प्रदत्त प्राविधानों भू-राजस्व की भांति वसूली करने का अधिकार नगर पालिका पौड़ी मे सुरक्षित होगा।

18 नगर पालिका पौड़ी की सीमा अंतर्गत लगने वाले मेले मे अस्थायी व्यवसाय की दरे जो व्यवसाय सूची मे नहीं है उनके लाइसेन्स दरे नगर पालिका पौड़ी के कार्यकारणी समिति/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा तय की जा सकेंगी।

19 कोई भी व्यक्ति नगर पालिका सीमा के अंतर्गत बोझ आदि ढ़ोने अथवा मजदूरी के रूप किए जा रहे परिश्रमिक कार्य से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख दस्तावेज़ प्रमाण प्रस्तुत\ (सुरक्षा की दृष्टि से) करेंगे। उसके पश्चात उक्त कार्य कर सकेगा।

20 नर्सिंग होम/ हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करना होगा।

(क) शैययाओ/ बैडों हेतु कक्षो (कमरो) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।

(ग) पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।

(घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो जिस हेतु अधिशासी अधिकारी/ कर एवं राजस्व निरीक्षक समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

21 वैकट हॉल/ होटल को नगर पालिका पौड़ी के द्वारा स्वच्छता के संबंध मे समय-समय पर बनाए गए नियम व एस0डब्ल्यू0एम0 नियम 2000 का पालन प्रत्येक दशा मे करना होगा। वाहनो हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन फुटपाट पर खड़े नहीं किए जाएंगे।

22 कोई भी व्यक्ति जो पशुओ का पालन करता हो जिसे वह बोझा ढ़ोने के रूप मे परिश्रमिक प्राप्त करता हो तो प्रति पशु का नगर पालिका पौड़ी मे निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा उसके पश्च्यात ही उक्त प्रकार के पशुओ से बोझा ढ़ोने का कार्य करा सकेगा पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा अन्यथा उक्त की स्थिती मे पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दंड का भागी होगा।

23 नगर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान आदि के लाइसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

24 नगर पालिका पौड़ी द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ लाइसेंसो मे यदि भारत सरकार/राज्य सरकार / अन्य द्वारा लाइसेन्स/ रजिशट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण पत्र करने के उपरांत ही नगर पालिका के लाइसेन्स/ रजिशट्रेशन जारी किए जाएंगे।

25 ट्रांसपोर्ट/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाट/ सड़क पर कोई वाहन खड़ा/ सर्विस आदि नहीं करेगा।

26 यदि उपयुक्त लाइसेन्स/ पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष उसकी अपील होगी तथा अधिशासी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि के 30 दिन के अंदर द्वीतीय अपील नगर पालिका अध्यक्ष की जाएगी नगर पालिका अध्यक्ष को 30 दिन के अंदर अपील का निस्तारण करने का निर्णय देना होगा।

27 कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाट पर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा।

28 पेट्रोल/डीजल ऑयल कंपनी वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

29 धुलाई/लांड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधान तरीके से अपनायी जाए।

30 कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नहीं लगाएगा। जनरेटर इस तरह से लगाया जाय कि वो साउंड प्रूफ एवं पौल्यूशन मुक्त हो।

दण्ड

नगर पालिका पौड़ी सीमांतर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधि के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर रु0 – 5000.00 तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकती है। यदि समयांतर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया उल्लंघन निरंतर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन रु0-50.00 की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

क्र0 सं0	मद का विवरण	सहमति के उपरांत निर्धारित व्यवसायिक शुल्क वार्षिक
1	श्रेणी (अ) 5 कमरों तक होटल/ लॉज़	1000.00
2	श्रेणी (ब) 6 से10 कमरों तक होटल/ लॉज़	1500.00
3	श्रेणी (स) 11 से 20 कमरों तक होटल/ लॉज़	2000.00
4	बारात घर	15000.00
5	पैथौलॉजी सेंटर एक कमरे तक	800.00
6	पैथौलॉजी सेंटर एक से अधिक कमरे तक	1500.00
7	डेंटल क्लीनिक	1500.00
8	मेडिकल स्टोर/ मेडिकल क्लीनिक एक से दो कमरे (अ)	800.00
9	मेडिकल स्टोर/ मेडिकल क्लीनिक दो से अधिक कमरे (ब)	1500.00
10	प्राईवेट क्लीनिक एक कमरे तक	800.00
11	प्राईवेट क्लीनिक एक कमरे से अधिक	1500.00
12	ट्रांसपोर्ट ऐजेंसी	4000.00
13	टूर एंड ट्रेवल ऐजेंसी	4000.00
14	स्कूटर एजेंसी/ सर्विस सेंटर	2000.00
15	स्कूटर सर्विस सेंटर	1000.00
16	श्रेणी अ- मोटर वर्कशॉप/ मोटर एजेंसी	1500.00
17	श्रेणी ब- मोटर वर्कशॉप	1000.00
18	साईकिल एजेंसी (सेल एण्ड सर्विस)	400.00
19	मोटर ट्रेनिंग सेंटर / प्रदूषण नियंत्रण सेंटर/ वर्कशॉप	2000.00
20	आटा चक्की	400.00
21	लोहार	200.00
22	कबाड़ी	400.00
23	फोटोस्टूडियो	400.00
24	फोटोस्टेड	400.00
25	बिजली समान	400.00
26	बिजली समान रिपेयरिंग	400.00
27	वेल्डिंग वर्कशॉप	400.00
28	जे0सी0बी0/टेक्ट्रर रिपेयरिंग शॉप	1000.00
29	साईन बोर्ड/ बैनर मेकर	400.00

30	प्रिंटिंग प्रेस	400.00
31	जरनल स्टोर	400.00
32	किराना जरनल स्टोर	400.00
33	जरनल थोक विक्रेता/ फुटकर विक्रेता	400.00
34	फ़ैन्सी कॉसमेटिक स्टोर/ ब्यूटिपालर	400.00
35	स्वीट शॉप	400.00
36	बेकरी/कन्फ़ेक्सनरी	400.00
37	बेकरी थोक विक्रेता	400.00
38	श्रेणी (अ) हार्डवेयर शॉप/कन्सट्रकशन एण्ड बिल्डिंग मेमटीरियल	1000.00
39	श्रेणी (ब) हार्डवेयर शॉप	1000.00
40	श्रेणी (अ) ज्वेलर्स दुकान 2 से अधिक कारीगर	2000.00
41	श्रेणी (ब) ज्वेलर्स दुकान 2 कारीगर तक	1000.00
42	रेडिमेट गारमेंट्स	400.00
43	श्रेणी (अ) रेस्टोरेन्ट	500.00
44	श्रेणी (ब) खाने का होटल	400.00
45	श्रेणी (स) खाने का ढाबा	400.00
46	पान की दुकान	400.00
47	श्रेणी (अ) न्यूज पेपर एजेंसी/किताब विक्रेता	400.00
48	श्रेणी (ब) किताब विक्रेता	400.00
49	नाई दुकान	400.00
50	फ़ास्ट फ़ूड सेंटर	400.00
51	चाय दुकान	150.00
52	मोबाइल सेल/ सर्विस सेंटर	400.00
53	सरकारी जरनल स्टोर	400.00
54	खादी वस्त्र भण्डार	400.00
55	सब्जी की दुकान	400.00
56	बैंड मास्टर शॉप	400.00
57	फल की दुकान	400.00
58	जूस की दुकान	400.00
59	फर्नीचर विक्रेता	400.00
60	मटन/चिकन/फ़िश शॉप	1000.00

61	जूतों की दुकान	400.00
62	मोची की दुकान	200.00
63	एल0पी0जी0 गैस एजेंसी	400.00
64	कोल्ड ड्रिंक्स/ वाटर सप्लायर	400.00
65	वाटर सप्लायर	400.00
66	अंग्रेजी शराब की दुकान	25000.00
67	बियर बार	10,000.00
68	एफ0एल0टू0 शराब गोदाम	3500.00
69	पूजा सामाग्री की दुकान	400.00
70	सिलाई की दुकान	400.00
71	पेट्रोल पम्प	400.00
72	इंश्योरेन्स कंपनी	400.00
73	श्रेणी (अ) केबल टीवी 500 से अधिक कनेकशन	5000.00
74	श्रेणी (ब) केबल टीवी 500 तक कनेकशन	3000.00
75	टेंट हाउस/ केटरिंग	10,000.00
76	विज्ञापन एजेंसी	400.00
77	घड़ी विक्रेता दुकान	400.00
78	आइसक्रीम विक्रेता	400.00
79	ड्राइक्लीनर्स	400.00
80	टी0वी0 दुकान/ रेडिया मेकनिक	400.00

प्रदीप सिंह बिष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, पौड़ी।

यशपाल बेनाम,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, पौड़ी।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् किच्छा (ऊधमसिंहनगर)

स्लॉटर हाउस शुल्क वसूली दर संशोधन

12 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक–38(6)/स्थ0 नि0/ट्रेड लाइसेंस/2022–23–नगर पालिका परिषद किच्छा जिला उधमसिंह नगर की सीमा अन्तर्गत यू0पी0 म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1916 की धारा 296 सूची (1) ''च'' ''छ'' के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये बोर्ड बैठक दिनांक 12–06–2019 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 46 के निर्णय के क्रम में स्लॉटर हाउस शुल्क वसूली का राजकीय प्रकाशित गजट दिनांक 03 जुलाई 1999 में अंकित दरों में पूर्व निर्धारित शर्तो एवं नियमों के अनुसार स्लॉटर हाउस शुल्क की दरों में निम्न संशोधन किये जाने के लिए धारा 300 (1) के तहत 30 दिन के भीतर वह व्यक्ति जिस पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो से लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 22–12–2020 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समय तक किसी भी सम्बंधित के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उक्त पूर्व राजकीय गजट प्रकाशन दिनांक 03-07-1999 में अंकित समस्त शर्तो एवं नियमों को यथावत रखते हुए स्लॉटर हाउस शुल्क की दरों में निम्न संशोधान किया जाता हैं।

दर संशोधन

वर्त्तमान लागू दरें			संशोधित दरें		
1-	बकरी/बकरा	10/- रु० प्रति	1-	बकरी/बकरा	25/- रु० प्रति
2-	भैंस/भैंसा	25/- रु० प्रति	2-	भैंस/भैंसा	100/- रु० प्रति
3-	सूअर	10/- रु० प्रति	3-	सूअर	25/- रु० प्रति

गुरमीत सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
उधमसिंह नगर।

दर्शन कुमार कोली,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
उधमसिंह नगर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् किच्छा (ऊधमसिंहनगर)

ट्रेड लाइसेंस उपविधि

12 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक–39(6)/स्थ0 नि0/ट्रेड लाइसेंस/2022–23–नगर पालिका परिषद किच्छा जिला उधमसिंहनगर की सीमा अन्तर्गत यू0पी0 म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1916 की धारा 296 सूची (1) "च" "छ" के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से पूर्व बनी वार्षिक लाइसेन्स शुल्क वसूली का राजकीय प्रकाशित गजट दिनांक 03 जुलाई 1999 में अंकित दरों में निम्न संशोधन एवं शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार अवशेष व्यवसायों पर वार्षिक लाइसेन्स शुल्क लागू करने हेतु नियमावली में सम्मिलित करते हुये संयुक्त नियमावली बनाये जाने के लिए धारा 300 (1) के तहत 30 दिन के भीतर वह व्यक्ति जिस पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो से लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान के दिनांक 16–09–2021 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समय तक किसी भी सम्बंधित के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उक्त पूर्व राजकीय गजट प्रकाशन दिनांक 03-07-1999 में अंकित समस्त शर्तो सहित अन्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए यह उपविधि बनाई जाती है।

उपविधियाँ

1- परिभाषा - किसी बात से प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर-

क- ये उपविधि नगरपालिका परिषद् किच्छा की सीमा अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु व्यावसायिक लाईसेन्स उपविधि कहलायेगें।

ख- प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् किच्छा के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से हैं।

ग- अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् किच्छा के अधिशासी अधिकारी से हैं।

घ- नगरपालिका परिषद् किच्छा की सीमा से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् किच्छा की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से हैं।

ड- इस उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद् किच्छा के अधिशासी अधिकारी लाईसेन्स अधिकारी होगें।

2- यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3- कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद् किच्छा की सीमा अन्तर्गत निम्न अनुसूची "क" में दिये गये व्यवसायों को नही कर सकेगा, जब तक कि नगरपालिका परिषद् कार्यालय से अपने से सम्बन्धित व्यवसायों हेतु लाईसेन्स प्राप्त नहीं कर लेता।

4- प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगरपालिका परिषद् किच्छा के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रत्येक वित्तीय वर्श हेतु 30 अप्रैल तक लाईसेन्स प्राप्त करना आवष्यक होगा।

5- प्रत्येक ऐसा निर्गत/प्राप्त लाईसेन्स एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा।

6- लाईसेंसिंग अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी जो निरीक्षक पद के श्रेणी से कम न हो, द्वारा व्यावसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जाँच आख्या संस्तुति करने पर ही लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।

7- लाईसेंसिंग अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसेन्स निर्गत करने पूर्व खानपान की सामग्री से सम्बन्धित व्यावसायिक दुकान अथवा फल-सब्जी को नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान बर्तनों में रखे होगें। जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सकें।

8- कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीडित हो न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसा व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

9- लाईसेंसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के विरूद्ध अथवा सडी गली सब्जियां, फलों के दुकान में रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थो को नश्ट करने का अधिकार होगा।

10- प्रत्येक व्यापारी/व्यवसायी को चाहियें कि वह नगरपालिका परिषद् कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष माह फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और आवश्यक शुल्क देकर लाईसेन्स प्राप्त कर लें।

11- उपयुर्क्त उपविधि में वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किये जाने पर लाईसेन्सिंग अधिकारी लाइसेन्स धारक के आवेदन-पत्र को इस समय तक लम्बित रख सकता हैं या निरस्त कर सकता हैं, जब तक कि ऐसे लाईसेन्स धारक के आवेदनकर्ता से इन उपविधियों के अधीन सफाई स्वच्छता नित्य प्रति खान-पान से सम्बन्धित व्यवस्था व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाईसेन्सिग अधिकारी द्वारा जाँच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हों।

12- इन उपविधियों के अन्तर्गत खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान से अगल-बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कूड़ा व अन्य अनुप्रयुक्त गंदी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नही होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती हैं।

13- इन उपविधियों के अधीन लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाईसेन्स न दिये जाने पर एक माह अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा, परन्तु अपीलकर्ता को उपयुर्क्त नियमों के अधीन वर्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीडन होने की दशा में ही अपील की सुनवाई होनी सम्भव होगी।

14- लाईसेन्स धारक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च तक नही कराता हैं तो लाईसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क का 5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लाईसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

15- कोई भी व्यक्ति, लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसेन्स निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमें लाईसेन्सिंग अधिकारी दुकान/प्रतिष्ठान का निरीक्षण करके लाईसेन्स निरस्त करेगा।

16- उस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारें में जिलाधिकारी यदि संतुष्ट हैं कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूप्रयोग किया जा रहा हैं अथवा कोई प्राविधान जनहित में नही हैं तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने तथा संशोधित करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

17- इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी लाईसेन्स स्वतः समाप्त हो जायेगें। परन्तु जिन व्यवसायों को इस उपविधि में उल्लिखित नही किया गया हैं, से सम्बन्धित पूर्व लाईसेन्स उपनियम यथावत रहेंगे।

18- कोई भी व्यवासायी प्लास्टिक, पालीथीन, थर्माकोल अथवा उससे बनी वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोग नही कर सकेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अधीन इस उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रू० 1000/-(एक हजार)मात्र तक अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा। यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसेन्स प्राप्त/नवीनीकरण नही किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से रू० 100/- (सौ रूपये) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जायेगा।

अनुसूची - "क"

Major Trade	ULB_Trade	स्वीकृत वर्तमान दरें वार्षिक	प्रस्तावित दरें वार्षिक
Banking /Insurance /Finance	एटीएम बैंक (ऑफ साइट / ऑन साईट		8000
	बैंक		15000
	फाईनेंस कंपनी /चिट फंड		10000
	बीमा कंपनी		10000
	मनी लेंडर /एक्सचेंजर		10000
	अन्य कोई		5000
Firm/ Compnies/ Agencies	विज्ञापन एजेंसी		5000
	आर्किटेक्ट /सलाहकार		5000
	बिल्डर्स/रजिस्टर ए क्लास		10000

	कॉल सेंटर/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग		2000
	सफाई ठेकेदार		5000
	व्यावसायिक/सदस्य क्लब		5000
	धरमकांटा		4000
	फिल्म मेकिंग स्टूडियों		25000
	विवाह ब्यूरों		10000
	वैवाहिक एजेंसी		5000
	मॉडलिंग एजेंसी		25000
	समाचार पेपर/ मुख्य/ जर्नल पब्लिशर (प्रेस सहित)		6000
	समाचार पेपर/ मुख्य/ जर्नल पब्लिशर (प्रेस के बिना)		9000
	कार्यालय/ चैम्बर/ स्टूडियो		3000
	ओनर ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन टावर		10000
	(No. of tower)* (Rs. per tower)		2000
	प्रॉपर्टी डीलर		5000
	स्टोन क्रशर		15000
	अन्य कोई		3000
Goods Carriage Transportation	संग्रह केन्द्र (गोदाम)		5000
	धर्मकांटा		2000
	अन्य 4 पहिया (व्यवासायिक इंजन के साथ)	1000	5000
	ट्रान्सपोट एजेन्सी (बिना वाहन)		4000
	ट्रान्सपोट एजेन्सी (भारी वाहन सहित)		10000
	ट्रान्सपोट एजेन्सी (हल्का वाहन सहित)		6000
	ट्राली/ वॉटर टैंक/सीवेज टैंक	150	1000
	लकडी टौल कर		6000
	अन्य कोई		5000
Health/Education/ Training	मूक वधिर स्कूल		1000
	कोचिंग क्लासेज एण्ड कोचिंग सेन्टर संवद्ध		5000
	कोचिंग क्लासेज एण्ड कोचिंग सेन्टर प्राईवेट		5000
	कम्प्यूँटर शिक्षा केन्द्र संवद्ध		5000
	कम्प्यूँटर शिक्षा केन्द्र प्राईवेट		8000
	हाई स्कल (10वीं)		10000
	इण्टरमीडियेट (12वी)		10000
	जिम/ व्यायामशाला गेम्स		5000
	जूनियर हाई स्कूल (8वीं)		12000
	मोटर ट्रेनिंग स्कूल		5000
	फिजियोथेरेपी क्लीनिक/योगा केन्द्र		5000
	प्ले ग्रुप		2000
	प्राइमरी (5वी)		6000
	स्वीमिंग क्लासेज सेन्टर		5000
	अन्य कोई		5000
Hotels/Lodge/Guest house/ Resort	3 स्टार होटल		20000
	4 स्टार होटल		30000
	5 स्टार होटल		50000
	बैंकेट हॉल		20000
	गेस्ट हाउस 10 रूम तक	1000	15000
	गेस्ट हाउस 20 रूम तक		20000
	गेस्ट हाउस 30 रूम तक		25000
	गेस्ट हाउस 40 वेड तक		30000
	गेस्ट हाउस 50 वेड तक		35000
	गेस्ट हाउस 50 से अधिक वेड		50000
	होस्टल 10 रूम तक		5000
	होस्टल 20 रूम तक		10000
	होस्टल 30 रूम तक		20000
	होस्टल 40 रूम तक		25000
	होस्टल 50 रूम तक		35000
	होस्टल 50 रूम से अधिक		45000
	होटल गाईड लोईसेन्स		2000
	होटल लॉजिंग- 10 वेड तक	1000	5000

	होटल लॉजिंग- 20 वेड तक	1000	7000
	होटल लॉजिंग- 30 वेड तक	1000	9000
	होटल लॉजिंग- 40 वेड तक	1000	11000
	होटल लॉजिंग- 50 वेड तक	1000	13000
	होटल लॉजिंग- 50 से अधिक वेड		15000
	होटल लॉजिंग- 10 रूम तक		7000
	होटल लॉजिंग- 20 रूम तक		10000
	होटल लॉजिंग- 30 रूम तक		15000
	होटल लॉजिंग- 40 रूम तक		20000
	होटल लॉजिंग- 50 रूम तक		25000
	होटल लॉजिंग- 50 से अधिक रूम		40000
	मैरिज हॉल		20000
	अन्य कोई		10000
Industry/ Factory/Mill	भूसा स्टोर		2000
	चूना भट्टी		3000
	कोल्ड ड्रिंक/सोडा/वॉटर फैक्ट्री		5000
	कॉटन मिल		5000
	फ्लोर मिल, स्पाईस मिल, पल्स ग्राइंडर		8000
	पीसने की मशीन (आटा/मसाला आदि)		5000
	आईस फैक्ट्री	100	1500
	कुट्टी मशीन		3000
	धान मिल		5000
	साबुन फैक्टरी		8000
	अन्य कोई		5000
Liquor retail	भांग का ठेका		5000
	देशी शराब की कैंटीन		8000
	देशी शराब की दुकान	6000	12000
	देशी शराब की गोदाम	6000	10000
	विदेशी शराब की कैंटीन		10000
	विदेशी शराब गोदाम		20000
	विदेशी शराब की दुकान	12000	24000
	अन्य कोई		10000
LIVESTOCK/ Animal Husbandry	पशु घर		5000
	भैंसा शॉप	300	1500
	हड्डी खाल गोदाम		2000
	मुर्गा शॉप	600	2000
	डेरी फार्म		2000
	अण्डा शॉप		500
	मछली शॉप		500
	घी/दूध डेरी		2000
	बकरा व मुर्गा शॉप		3000
	बकरा शॉप	600	2000
	सूअर मीट शॉप		2000
	मुर्गी फार्म		5000
	पशुधन विकेता (जानवर)		2000
	पशुधन विक्रता (पक्षी)		500
	पशुवधशाला भैंसा मास		5000
	पशुवधशाला बकरा मांस		5000
	अन्य कोई		5000
Hospital/Nursing Home	आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथी क्लीनिक	1000	5000
	डेंटल क्लीनिक	4000	8000
	डायग्नोस्टिक सेन्टर (अल्ट्रासाउण्ड, सीटी स्कैन/ एम०आर०आई०	2000	8000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 10 वेड तक		10000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 20 वेड तक	4000	15000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 30 वेड तक		20000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 40 वेड तक		25000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 50 वेड तक	5000	30000
	मेटरनिटी होम/प्रसूति घर 50 वेड से अधिक		50000
	मेडिकल/ आयुर्वेदिक स्टोर	1000	5000

	नर्सिंग होम 10 वेड तक		10000
	नर्सिंग होम 20 वेड तक	2000	15000
	नर्सिंग होम 30 वेड तक		20000
	नर्सिंग होम 40 वेड तक		25000
	नर्सिंग होम 50 वेड तक	5000	30000
	नर्सिंग होम 50 वेड से अधिक		50000
	पोथोलोजी सेन्टर	1000	3000
	प्राइवेट क्लीनिक	3000	7000
	प्राईवेट अस्पताल		15000
	वैटरनिटी हॉस्पीटल	1000	15000
	एक्स रे क्लीनिक	2000	5000
	अन्य कोई		5000
Passenger Transportation	ऑटो उपकरण (दुकान)		1000
	ऑटो रिक्शा 7 सीट		1000
	ऑटो रिक्शा 2 सीट		500
	ऑटो रिक्शा 4 सीट		700
	ऑटो रिक्शा 7 सीट से अधिक		1500
	वस	2500	3000
	साईकिल ऐजेन्सी (सेल्स एण्ड सर्विस)		2000
	साईकिल रिक्शा 2 सीट		500
	साईकिल रिक्शा 4 सीट		700
	ई-रिक्शा 4 सीट या अधिक		1000
	गैरेज (पार्किंग हेतु)		5000
	मिनीं वस	500	5000
	मोटर एजेन्सी (सेल्स एण्ड सर्विस)		6000
	रिक्शा एम्पलीफायर विज्ञापन		1000
	रिक्शा ड्राईवर लाईसेन्स		300
	रिक्शा स्वास्थ्य लाईसेन्स		300
	रिक्शा स्वामी लाइसेन्स	75	500
	रिक्शा किराये पर लाईसेन्स		300
	रिक्शा पूलर	360	1000
	स्कूँटर एजेन्सी (सेल्स एण्ड सर्विस)		5000
	तांगा/दुग्गी/हाथ ठेला/लकडी के रस्सा से खीचने वाला	50	700
	टैक्सी सर्विस/टूर एण्ड ट्रेवल्स		5000
	ऑटो रिक्शा- (व्यवसाय सम्बन्धी) क्षमतानुसार प्रति कुन्टल पर		50
	रिक्शा एजेन्सी (सेल्स एण्ड सर्विस)		2000
	मोटर कार्यशाला		3000
	अन्य कोई		3000
Petroleum	कूकिंग गैस एजेन्सी (थोक)		15000
	कूकिंग गैस एजेन्सी (खुदरा)		10000
	कैरोसिन/स्प्रिट/एसिड (थोक)		15000
	कैरोसिन/स्प्रिट/एसिड (खुदरा)		10000
	अन्य पेट्रोलियम शॉप		10000
	पेट्रोल/डीजल पम्प (थोक)		15000
	पेट्रोल/डीजल पम्प (खुदरा)		10000
	खुदरा		10000
	अन्य कोई		5000
Power	पावर 10 एचपी	15	1000
	पावर 10-20 एचपी	50	1000
	पावर 20-40 एचपी	120	2000
	पावर 50-100 एचपी	240	2500
	पावर 150-300 एचपी		3500
	अन्य कोई		5000
Restaurents	वार रेस्टोरेन्ट एसी		7000
	वार रेस्टोरेन्ट नॉन एसी		6000
	बिरयानी शॉप		6000
	खानपान		2000

	ढाबा/भोजनालय		2000
	पब		6000
	रेस्टोरेन्ट एण्ड ऑल फूड्स एसी		6000
	रेस्टोरेन्ट एण्ड ऑल फूड्स नॉन एसी		5000
	अन्य कोई		5000
Retail shop /Stores	बैंड मास्टर शॉप		5000
	चूड़ी विक्रेता		1000
	सौन्दर्य पार्लर और सैलून		5000
	बिस्कुट बेकरी		3000
	बुक डिपो/पब्लिशर विक्रेता /पुस्तक के आपूर्तिकर्ता		2000
	केबल/ डिस टीवी ऑपरेटर		10000
	सिनेमा हॉल		2000
	कपडा और तौलिया ब्रांडेड		3000
	कपडा और तौलिया नॉन ब्रांडेड		2000
	कोल डिपो		2000
	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर स्टोर		5000
	कन्फैक्शनरी		3000
	कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मैटेरियल		10000
	कपास/ रूई विक्रेता		1000
	कूरियर सर्विस/ लोजिस्टिक मैनेजमेन्ट		2000
	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला या त्यौहार		5000
	डीजे ध्वनि		4000
	ड्राईक्लीन शाप	1000	5000
	मेवे की दुकान		5000
	इलैक्ट्रीकल पार्ट्स आईटम		4000
	इलैक्ट्रीकल आईटम		4000
	ईमेल/ ई-कॉमर्स/ इंटरनेट /साईवर		2000
	उर्वरक की दुकान		3000
	फूल विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता		500
	फल और सब्जी आडत		2000
	फल और सब्जी की दुकान	15'	500
	फर्नीचर हाउस ब्रांडेड		5000
	फर्नीचर हाउस नॉन ब्रांडेड		3000
	जनरल स्टोर		3000
	सरकारी जनरल व्यापारी		2000
	अनाज तिलहन चीनी गुड़ खंडसारी थोक		3000
	अनाज तिलहन चीनी गुड़ खंडसारी खुदरा		2000
	हेयर सैलून स्वयं		1200
	हेयर सैलून 3 नाई सहित		1500
	हेयर सैलून 5 नाई सहित		1700
	हस्तशिल्प		4000
	हार्डवेयर की दुकान		5000
	हॉकर/ फेरीवाला		1000
	ज्वैलर्स ब्रांडेड		10000
	ज्वैलर्स नॉन ब्रांडेड		8000
	ज्वैलर्स 3 कारीगर सहित		12000
	ज्वैलर्स 5 कारीगर सहित		15000
	ज्वैलर्स कारीगर बिना		5000
	खादी वस्त्र भण्डार		3000
	किराना स्टोर		5000
	लॉंडरी होम	1000	5000
	लाउडस्पीकर/ एम्पलीफायर		100
	मोबाईल फोन आउटलेट		5000
	मल्टी प्लैक्स		25000
	संग्रहालय/आर्ट गैलरी		2000
	समाचार पत्र वितरक		800
	पौधों की नर्सरी		2000
	फोटो स्टूडियो/ विडियोग्राफर/ साईवर कैफे/ विडियो गेमिंग		5000

	फोटोकॉपीयर और अन्य		1500
	छापा खाना (प्रिन्टींग प्रेस)		1000
	सैलून		1000
	शूज - फुटवियर ब्रांडेड		3000
	शूज - फुटवियर नॉन ब्रांडेड		2000
	शॉपिंग मॉल		5000
	स्मारिका स्टोर		5000
	स्टेशनरी		2000
	सूपर मार्केट		10000
	स्वीट शॉप		2000
	सिलाई हाउस 3 कारीगर सहित		1500
	सिलाई हाउस 5 कारीगर सहित		2500
	सिलाई हाउस 5 कारीगर से अधिक		4000
	सिलाई हाउस कारीगर के बिना		500
	टैटू पार्लर		1000
	टेलीविजन ऐड एयर कंडीशनरी एंड रेफ्रीजरेटर एंड वॉशिंग मशीन अपलांयेन्सेस		10000
	टेन्ट हाउस		5000
	धोबी		2000
	वॉच/ क्लॉक रिपेयर/ सेल्लर		2000
	ऊन हॉजरी		1000
	पूजा सामग्री		2000
	सब्जी विक्रेता		300
	अन्य कोई		5000
Street Vendor	ठेला फूड, स्वीट्स, आइसक्रीम, फूड आइटम्स	40	200
	हाकर/ फेरीवाला		500
	इस्त्री स्टाल		1000
	जूस स्टाल		1500
	चमड़ा उद्यम		6000
	पान/ सिगरेट शॉप (खोखा)		2000
	टी- स्टॉल		1000
	अन्य कोई		1000
Workshop	एल्यूमिनियम / लोहा वैल्डिंग कार्यशाला		1000
	बरमा मशीन		500
	लोहार		1000
	कम्प्रशर / पंचर संबंधी		500
	डैटिंग पेंटिंग		1000
	इलैक्ट्रीकल कार्यशाला	1000	2000
	एक्सपिलीटर 6 वोल्ट		2000
	एक्सपिलीटर 9 वोल्ट		5000
	संरचना /गढाई / अन्य निर्माण कार्य		5000
	कबाड़ व्यवसाय		2000
	खराद मशीन/ दाव मशीन आदि		1000
	ऑयल मशीन		5000
	पम्प मरम्मत		1000
	कबाडी		2000
	आरा मशीन	15	1000
	साईन बोर्ड / बैनर मेकर		3000
	ट्रैक्टर मरम्मत		1000
	वाहनों की धुलाई		2000
	वैल्डिंग मशीन		1000
	अन्य कार्यशाला		5000
	अन्य कोई		3000

गुरमीत सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
उधमसिंह नगर।

दर्शन कुमार कोली,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
उधमसिंह नगर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् किच्छा (ऊधमसिंहनगर)

ठेकेदार पंजीकरण/नवीनीकरण उपविधि

12 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक–41(6)/स्था0नि0/ठेकेदारी पंजी0/नवी0/2022–23–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में भी यथा संशोधित एवं प्रभावी) की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, किच्छा (ऊधमसिंहनगर) द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो के निष्पादन के लिए ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली जाने के लिए धारा 300 (1) के तहत 30 दिन के भीतर जिस किसी व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो से लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं शाह टाइम्स के दिनांक 24–10–2021 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समय तक किसी भी सम्बंधित के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः नगर क्षेत्रान्तर्गत सिविल निर्माण एवं विकास कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण उपविधि बनाई जाती है।

नियमावली/उपविधियां

1- परिभाषा:-

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, किच्छा (ऊधमसिंहनगर) ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण उपविधि 2021 कहलायेगी।
2. यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु तत्काल प्रभावी होगी।
3. "पालिका परिषद्" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा है।
4. "पालिका बोर्ड" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से है।
5. "पंजीकरण अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक जैसी भी स्थिति हो से है।
6. "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेष नगरपालिका अधिनियम 1916 जो वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश,में भी लागू है- से है।
7. "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक/प्रभारी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो से है।
8. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, किच्छा से है।
9. "शासकीय तकनीकी विभागों" से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, सिंचाई विभाग, नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत आदि समस्त शासकीय तकनीकी विभागों से है।
10. "सिविल निर्माण एवं विकास कार्य" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत कराये जाने वाले भवन, सड़क, नाली, पार्क, आदि निर्माण व पुर्ननिर्माण कार्यो, विभिन्न विकास निर्माण कार्यो के निष्पादन, पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी कार्य, पथ प्रकाष व्यवस्था सम्बन्धी कार्य, स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, एवं अन्य कार्य जो संविदा के अर्न्तगत आते हो, से है।
11. "पंजीकरण" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो के निष्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।
12. "नवीनीकरण" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, किच्छा द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यों के निष्पादन हेतु पंजीकृत ठेकेदरों का नवीनीकरण से है।
13. "ठेकेदार" शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगरपालिका परिषद्, किच्छा द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यों को करने का इच्छुक हो तथा इस प्रयोजन हेतु नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पंजीकृत हो।
14. "विगत वर्ष" से तात्पर्य पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष पिछले वर्ष से है। (उदाहरण- यदि पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2022-23 हेतु है, तो विगत वर्ष उसके पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 होगा)
15. "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम (ए), द्वितीय (बी), तृतीय (सी) एवं चतुर्थ (डी) श्रेणी से है।

2-पंजीकरण की प्रक्रिया:-

पालिका परिषद् द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो के निष्पादन/सम्पादन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ठेकेदारी पंजीकरण हेतु निम्नानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी। जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा उसी आधार पर कार्यो का निष्पादन/सम्पादन कर सकेंगे।

1. पंजीकरण हेतु वह व्यक्ति पात्र होगा जो भारत का नागरिक हो तथा उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 05 वर्ष से अधिक की अवधि से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र तथा 02 पासपोर्ट साईज फोटो देने अनिवार्य होंगे।

2. उत्तराखण्ड राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैद्य अवधि का हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)-

1-	प्रथम श्रेणी के लिये (ए)	मु0 25.00 लाख रूपया (पच्चीस लाख रूपया)
2-	द्वितीय श्रेणी के लिये (बी)	मु0 15.00 लाख रूपया (पन्द्रह लाख रूपया)
3-	तृतीय श्रेणी के लिये (सी)	मु0 10.00 लाख रूपया (दस लाख रूपया)
4-	चतुर्थ श्रेणी के लिये (डी)	मु0 05.00 लाख रूपया (पांच लाख रूपया)

नोट- हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्य अवधि समाप्त होने की स्थिति में उल्लिखित हैसियत के अनुसार सम्पत्ति खुर्द-बुर्द न किये जाने सम्बन्धित नोटरी षपथ पत्र।

3. उत्तराखण्ड राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

4. सिविल निर्माण ठेकेदार की श्रेणी निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा-

1- प्रथम श्रेणी के लिये (ए) - नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत प्रथम श्रेणी (ए) के ठेकेदार। अथवा शासकीय तकनीकी विभागों में विगत वर्षों तीन वित्तीय वर्षों में 15 लाख रूपये तक के 05 सिविल निर्माण कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादित किये जाने का सम्बन्धित विभाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
शासकीय तकनीकी विभागों में विगत 03 वर्षों में कुल मु0 75 लाख रूपया (पिछत्तर लाख रूपया) के सिविल निर्माण कार्य का सफलता पूर्वक निष्पादित किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार जो "द्वितीय श्रेणी" (बी) में पंजीकृत हो एवं पंजीकरण/नवीनीकरण के वर्ष तक 05 वर्ष पूर्ण हो गये हो तथा नगरपालिका परिषद्, के सिविल निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया हो (इस आशय का प्रमाण पत्र)। अथवा
नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार जो "तृतीय श्रेणी" (सी) जिन्हें पंजीकरण वर्ष के विगत वर्ष तक निरन्तर 15 वर्ष पूर्ण हो गये हो तथा नगरपालिका परिषद्, के सिविल निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया हो (इस आशय का प्रमाण पत्र)।

2- द्वितीय श्रेणी के लिये (बी) - नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत द्वितीय श्रेणी (बी) के ठेकेदार। अथवा शासकीय तकनीकी विभागों में विगत वर्षों तीन वित्तीय वर्षों में 10 लाख रूपये तक के 05 सिविल निर्माण कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादित किये जाने का सम्बन्धित विभाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
शासकीय तकनीकी विभागों में विगत 03 वर्षों में कुल मु0 50 लाख रूपया (पचास लाख रूपया) का सफलतापूर्वक निष्पादित किये जाने का सम्बन्धित विभाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार जो "तृतीय श्रेणी" (सी) में पंजीकृत हो एवं पंजीकरण वर्ष के विगत वर्ष तक निरन्तर 05 वर्ष पूर्ण हो गये हो तथा नगरपालिका परिषद्, के सिविल निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया हो (इस आशय का प्रमाण पत्र)। अथवा
नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार जो "चतुर्थ श्रेणी" जिन्हें पंजीकरण वर्ष के विगत वर्ष तक निरन्तर 15 वर्ष पूर्ण हो गये हो तथा नगरपालिका परिषद्, के सिविल निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया हो (इस आशय का प्रमाण पत्र)।

3- तृतीय श्रेणी के लिये (सी) - नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत तृतीय श्रेणी (सी) के ठेकेदार। अथवा शासकीय तकनीकी विभागों में विगत वर्षों तीन वित्तीय वर्षों में 5 लाख रूपये तक के 05 सिविल निर्माण कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादित किये जाने का सम्बन्धित विभाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
शासकीय तकनीकी विभागों में विगत 05 वर्षों में कुल मु0 25 लाख रूपया (पच्चीस लाख रूपया) का सफलतापूर्वक निष्पादित किये जाने का सम्बन्धित विभाग से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अथवा
नगरपालिका परिषद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार जो "चतुर्थ श्रेणी" (डी) में पंजीकृत हो एवं पंजीकरण वर्ष के विगत वर्ष तक निरन्तर 05 वर्ष पूर्ण हो गये हो तथा नगरपालिका परिषद्, के सिविल निर्माण कार्यो का निष्पादन किया गया हो (इस आशय का प्रमाण पत्र)।

4- चतुर्थ श्रेणी के लिये (डी) - नगरपालिका परिशद्, किच्छा में पूर्व से पंजीकृत चुतर्थ श्रेणी (डी) के ठेकेदार। अथवा पालिका में प्रथम बार आवेदन करने वाला व्यक्ति/फर्म, जो किसी भी अन्य तकनीकी विभाग में पंजीकृत नहीं है।

5. अन्य कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. उत्तराखण्ड राज्य में आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

7. उत्तराखण्ड राज्य में जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

8. आधारकार्ड/मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

9. ठेकेदार का सामान्य विवरण जिसमें नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता, कार्यालय का पता, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं०, व्हॉट्स ऐप नं०, हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित सम्पत्ति का पता व विवरण, बैंक खाता नं०/आईएफएससी नं०/बैंक का नाम/बैंक शाखा आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा।

10. जिन व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों का पंजीकरण स्वीकृत कर लिया जायेगा, उन्हें श्रेणीवार अग्रिम जमानत धनराशि की अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, किच्छा के पदनाम से बन्धक वैद्य अवधि (तीन वर्ष) की एफडीआर/टीडीआर /सीडीआर/एनएससी पंजीकरण स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी अनिवार्य है, अन्यथा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा सम्बन्धित को पंजीकरण हेतु पुनः निर्धारित नियम/शर्तों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा-

1-	प्रथम श्रेणी के लिये (ए)	मु० 50.00 हजार रूपया (पचास हजार रूपया)
2-	द्वितीय श्रेणी के लिये (बी)	मु० 30.00 हजार रूपया (तीस हजार रूपया)
3-	तृतीय श्रेणी के लिये (सी)	मु० 20.00 हजार रूपया (बीस हजार रूपया)
4-	चतुर्थ श्रेणी के लिये (डी)	मु० 10.00 हजार रूपया (दस हजार रूपया)

3-पंजीकरण/नवीनीकरण की अवधि:-

पालिका परिषद् में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों के नवीन पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जायेंगे। नवीन पंजीकरण के सम्बन्ध में नगरपालिका बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत किये जायेगे, जिसमें से नगरपालिका बोर्ड द्वारा जिन आवेदनों को पंजीकरण करने की संहमति दी जायेगी, केवल उन्हीं आवेदकों का नवीन पंजीकरण किया जायेगा। ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण 03 वित्तीय वर्षों तक मान्य होंगे तथा तीसरे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा। इसलिए सम्बन्धित के द्वारा नवीनीकरण हेतु निर्धारित पंजीकरण रीति के अनुसार ही पंजीकरण समाप्ति वर्ष की 01 जनवरी से 31 मार्च तक आवेदन मय हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। नवीनीकरण के समय उच्चीकरण हेतु निर्धारित पंजीकरण रीति के अनुसार ही पंजीकरण समाप्ति वर्ष की 01 जनवरी से 31 मार्च तक आवेदन मय हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उत्तराखण्ड में पांच से अधिक वर्ष से निवास का साक्ष्य एवं जमानत धनराशि की एफडीआर/टीडीआर/ सीडीआर/एनएससी सहित प्रस्तुत करनी होगी।

नोट-निर्धारित समयावधि तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न किये जाने की दशा में पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस प्रकार पंजीकरण निरस्त होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति नये पंजीकरण हेतु आवेदन पंजीकरण रीति के अनुसार आवेदन करेगा। इस प्रकार पूर्व पंजीकरण की निरन्तरता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं भविष्य में उच्चीरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पूर्व के पंजीकरण की अवधि का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

4- शुल्क:-

पालिका परिषद् में ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु श्रेणीवार निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन शुल्क तथा स्वीकृत हो जाने पर पंजीकरण शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना होगा-

श्रेणी	पंजीकरण हेतु निर्धारित		नवीनीकरण हेतु निर्धारित	
	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
प्रथम श्रेणी के लिये (ए)	1000 रू०	10000 रू०	500 रू०	5000 रू०
द्वितीय श्रेणी के लिये (बी)	800 रू०	8000 रू०	400 रू०	4000 रू०
तृतीय श्रेणी के लिये (सी)	600 रू०	6000 रू०	300 रू०	3000 रू०
चतुर्थ श्रेणी के लिये (डी)	400 रू०	4000 रू०	200 रू०	2000 रू०

पालिका परिषद्, द्वारा आमंत्रित निविदा एवं कोटेशन हेतु शुल्क कार्य की लागत राशि के सापेक्ष निम्नानुसार होगें-

क्रम सं०	कार्य की लागत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जीएसटी अतिरिक्त
1.	मु० 50000 रू० तक	मु० 50.00 रू०
2.	मु० 50000 रू० से मु० 150000 रू० तक	मु० 100.00 रू०
3.	मु० 150001 रू० से मु० 300000 रू० तक	मु० 250.00 रू०
4.	मु० 300001 रू० से मु० 600000 रू० तक	मु० 500.00 रू०
5.	मु० 600001 रू० से मु० 1200000 रू० तक	मु० 1000.00 रू०
6.	मु० 1200001 रू० से मु० 1800000 रू० तक	मु० 1500.00 रू०
7.	मु० 1800001 रू० से मु० 2500000 रू० तक	मु० 2000.00 रू०
8.	मु० 2500001 रू० से अधिक धनराशि के कार्य	लागत राशि का 0.10 प्रतिशत

नोट- उक्तानुसार निविदा प्रपत्रों की दर की सीमा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली/समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

5-सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो के निष्पादन/सम्पादन की सीमा:-

श्रेणीवार पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार उनके सम्मुख अंकित लागत राषि के कार्यो का निश्पादन/सम्पादन कर सकेंगे-

1- प्रथम श्रेणी के लिये (ए) मु० 25.00 लाख रूपया एवं उससे अधिक के सम्पूर्ण कार्य।

2- द्वितीय श्रेणी के लिये (बी) मु० 18.00 लाख रूपया तक के सम्पूर्ण कार्य।

3- तृतीय श्रेणी के लिये (सी) मु० 12.00 लाख रूपया तक के सम्पूर्ण कार्य।

4- चतुर्थ श्रेणी के लिये (डी) मु० 06.00 लाख रूपया तक के सम्पूर्ण कार्य।

नोट- उक्तानुसार सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो के निष्पादन/सम्पादन की सीमा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली/समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार परिवर्तनीय होंगी।

6- नियम:-

1. पालिका परिषद् में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा/कोटेशनों को क्रय कर सकते है।
2. किसी भी कार्य निष्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक आदि स्वतः ही लागू होंगे। जिसके अनुसार ही कोटेशन/निविदा आमंत्रित की जायेगी तथा पंजीकृत ठेकेदार प्रतिभाग कर सकेंगे।
3. पंजीकृत ठेकेदार द्वारा सिविल निर्माण एवं विकास कार्य की डाली गई/प्रस्तुत किसी भी निविदा/कोटेशन प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुसार स्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक जैसी भी स्थिति हो, को होगा।
4. यदि किसी कार्य का कार्यादेश में किन्ही कारणों से विलम्ब होता है तो, ऐसे सिविल निर्माण एवं विकास कार्य की निविदा/कोटेशन प्रस्तुत करने के उपरान्त पंजीकृत ठेकेदार एक वर्ष तक निविदा/कोटेशन स्वीकृति के समय प्रचलित दरों के अनुसार ही कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
5. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यो की निविदा के साथ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, किच्छा के पदनाम से बन्धक निर्धारित 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफडीआर/सीडीआर/ टीडीआर/एनएससी प्रस्तुत करनी होगी। स्वीकृत निविदा/कोटेशन के कार्य के अनुसार बिल भुगतान के समय बिल राशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि की एफडीआर/ सीडीआर/टीडीआर/एनएससी जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा करनी होगी, जिसमें निविदा के समय जमा अग्रिम धरोहर धनराशि/कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि भी सम्मिलित की जा सकेगी। जमानत राशि कार्य समाप्ति के 1 वर्ष अथवा बजट/अनुदान स्वीकृति शर्तानुसार/अनुबन्ध में उल्लिखित अवधि जो भी बाद में हो के पश्चात कार्य के स्थलीय जांच में कार्य संतोषजनक होने पर तकनीकी अधिकारी की संस्तुति एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही वापस भुगतान किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा जमानत राशि की एफडीआर/सीडीआर/ टीडीआर/एनएससी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो नियमानुसार बिल राशि का कुल 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में कटौती कर ली जायेगी एवं कार्य समाप्ति के 2 वर्ष पश्चात कार्य के स्थलीय जांच में कार्य संतोषजनक होने पर तकनीकी अधिकारी की संस्तुति एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही वापस भुगतान किया जायेगा।

6. निकाय में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार/फर्म को नगरपालिका परिषद्, किच्छा के सिविल निर्माण एवं विकास कार्य को शासकीय तकनीकी विभाग में निर्धारित प्रक्रिया/गुणवत्ता/मानको के अर्न्तगत निष्पादित करना होगा।
7. सिविल निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका समस्त प्रकार के नुकसान/हानि आदि का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का होगा।
8. सिविल निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान हुए किसी प्रकार के क्षति की प्रतिपूर्ति का दायित्व नगरपालिका परिषद्, किच्छा का नहीं होगा।
9. नगरपालिका परिषद्, किच्छा के समस्त सिविल निर्माण एवं विकास कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/नामित अधिकारी के निर्देशन में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
10. नगरपालिका परिषद्, किच्छा के अधिकारियों द्वारा सिविल निर्माण एवं विकास कार्य की अवधि में यथा आवश्यकतानुसार कभी भी स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है, जिस हेतु ठेकेदार को निर्माण कार्य के स्थलीय निरीक्षण में अपेक्षित आवश्यक सहयोग करना होगा।
11. सिविल निर्माण एवं विकास कार्य के बिल भुगतान से शासनोदेशों/नियमों के अर्न्तगत देय आयकर/अन्य देय कर/शुल्क की कटौती की जायेगी। जिस हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। उक्त कटौती हेतु ठेकेदार की पुनः सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
12. सिविल निर्माण एवं विकास कार्य में सिविल निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल भुगतान से पूर्व ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के दो फोटोग्राफ, निर्माण कार्य के मध्य के दो फोटोग्राफ एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के दो फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे।
13. सिविल निर्माण एवं विकास कार्य के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली राशि में से जी0एस0टी0 की धनराशि निर्धारित मद में जमा किये जाने का प्रमाण भुगतान प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद् किच्छा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अन्य कार्यों के बिलों का भुगतान तबतक स्थगित रखा जायेगा, जबतक पूर्व भुगतान के जी0एस0टी0 की धनराषि निर्धारित मद में जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।
14. निकाय में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को नगरपालिका परिषद्, किच्छा के समस्त आदेशों/निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगरपालिका परिषद् द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम मान्य होगा। समस्त विवादों के निस्तारण हेतु न्याय क्षेत्र जनपद ऊधमसिंहनगर होगा।
15. ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण निर्धारित अवधि तक मान्य होगा तथा पंजीकरण समाप्ति वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जायेगा एवं पालिका परिषद् में पंजीकरण की निरन्तरता भी समाप्त मानी जायेगी। जिसके पश्चात किसी भी प्रकार के पत्राचार एवं अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। नवीनीकरण की तिथि के बाद प्रस्तुत आवेदन का उसी वर्ष से नया पंजीकरण आवेदन माना जायेगा।
16. ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किये जाने व कार्य पूर्ण होने की सूचना पालिका को देगा। अन्यथा की दशा में जानबूझकर कार्य में विलम्ब किया गया माना जायेगा तथा भुगतान होने वाले बिल से नियमानुसार विलम्ब पर अर्थदण्ड की कटौती कर ली जायेगी।
17. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का कार्य/व्यवहार संतोषजनक होने/पाये जाने की स्थिति में ही ठेकेदार पंजीकरण का नवीनीकरण पर विचार किया जा सकेगा।
18. भवन निर्माण कार्यों की निविदा में वांछित निर्धारित अर्हता के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र अथवा लोक निर्माण विभाग के मानकों/शर्तो के अनुभव प्रमाण पत्र पृथक् से प्रस्तुत करना होगा।
19. दोहरी निविदा प्रणाली के अर्न्तगत आमंत्रित निविदा में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करने होंगे।
20. ऐसे कार्य जो निरन्तर 6 माह या उससे अधिक समयावधि तक निश्पादित कराये जायेंगे, में श्रम विभाग, कर्मचारी भविश्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/निविदादाता ही प्रतिभाग कर सकेंगे।
21. प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को पालिका द्वारा मांगे जाने पर GST Clearance Certificate (GSTR-3B Certificate) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्तुत न करने पर सम्बन्धित का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
22. पालिका बोर्ड द्वारा किसी भी शर्त/नियम आदि में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी या कोई भी अतिरिक्त नियम/शर्त जिससे राजस्व लाभ/प्रतिस्पर्धा/कार्य की गुणवत्ता बढ़ने की सम्भावना होए सम्मिलित की जा सकेगी।
23. निर्माण एवं विकास कार्यों के निष्पादन हेतु शासन/प्रशासन/पालिका बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित नियम/शर्तें/मानक स्वतः लागू होंगे।

24. किसी भी एक आवेदन या समस्त आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक जैसी भी स्थिति हो को होगा। जिस हेतु किसी भी पत्राचार आदि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7- कार्य पूर्ण करने की अवधि:-

पालिका परिषद् द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण एवं विकास कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य की लागत के अनुसार निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है, जिसमें वास्तविक समय सीमा स्थलीय आवश्यकता एवं कार्य की प्रकृति अनुसार निर्धारित की जा सकेगी तथा भवन/पुलिया/स्लैब आदि कार्यों हेतु समय सीमा का निर्धारण निविदा के समय किया जावेगा-

क्रम सं0	कार्य की लागत (रूपये में)	अवधि
1.	मु0 300000 रू0 तक	30-45 दिवस
2.	मु0 300001 रू0 से मु0 800000 रू0 तक	45-60 दिवस
3.	मु0 800001 रू0 से मु0 1800000 रू0 तक	60-90 दिवस
4.	मु0 1800001 रू0 से मु0 2500000 रू0 तक	60-120 दिवस
5.	मु0 2500001 रू0 से अधिक धनराषि के कार्य	स्थलीय आवश्यकता एवं कार्य की प्रकृति के अनुसार

8- शास्ति/अर्थदण्ड:-

1. यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार को भुगतान किये जाने बिल की धनराशि में से कार्य में विलम्ब की अवधि सप्ताह में अंकित कर 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 10 प्रतिषत अर्थदण्ड की कटौती कर ली जायेगी।

2. पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु निर्धारित किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करता है अथवा कार्य के सम्बन्ध में बिना किसी औचित्य व साक्ष्य के अनावश्यक विवाद करता है, तो नगरपालिका परिषद्, किच्छा को ऐसे ठेकेदार का पंजीकरण निलम्बित/निरस्त कर काली सूची अंकित करने का अधिकार होगा। तथा पंजीकरण के साथ जमा जमानत धनराशि की एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर/एनएससी पालिका परिषद्, के पक्ष में जब्त कर भुगतान आहरित कर पालिका कोष में जमा कर लिया जायेगा।

3. काली सूची में अंकित ठेकेदार नगरपालिका परिषद् किच्छा में पुनः पंजीकरण हेतु आगामी 03 वर्ष तक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। समयावधि पश्चात ठेकेदार द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें मात्र अनुभव सम्बन्धी शर्त में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

4. काली सूची में अंकित ठेकेदार तबतक नगरपालिका परिषद्, किच्छा की किसी भी निविदा/कोटेशन प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

गुरमीत सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
ऊधमसिंह नगर।

दर्शन कुमार कोली,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, किच्छा,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/529—भाग 8—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।